दिनाँक: 03 जुलाई 2024 को भूमि सम्बंधी धोखाधडी करने वाले अभियुक्त को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर ज़मीन दिलाने के नाम पर पीडित से 03 करोड रूपये लेकर की थी धोखाधड़ी

थाना बसंत विहार

थाना बसंत विहार में आकर वादी सतीश कुमार सैनी पुत्र स्वर्गीय राम प्रसाद सैनी निवासी जीएमएस रोड देहरादून द्वारा प्रार्थना पत्र दिया कि अशोक कुमार एवं उसके अन्य साथियों द्वारा वादी को जमीन दिखाकर उसके फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन दिलाने के नाम पर 03 करोड रुपए हड़प लिए तथा उसे ना ही जमीन दी गई और ना ही पैसे वापस किए गए, प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 17 फरवरी 2024 को थाना बसंत विहार में मु0अ0सं0-35/24, धारा 120बी/ 420/ 467 /468/ 471 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया।

एसएसपी देहरादून द्वारा भूमि संबंधी धोखाधड़ी करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर कार्यवाही करने के समस्त थाना प्रभारियो को दिये गये है आवश्यक निर्देश़, इसी क्रम में थाना स्तर पर पुलिस टीम का गठन किया गया, गठित टीम द्वारा अभियुक्त के सम्बंध में जानकारी एकत्रित करते हुए दिनांक 02 जुलाई 2024 को अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र स्वर्गीय हरकेश सिंह को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व पूर्व में भी धोखाधडी सम्बंधी अपराधो के अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त के अन्य साथियो के गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

नाम पता अभियुक्त

अशोक कुमार पुत्र स्वर्गीय हरकेश सिंह निवासी बंजारावाला टी स्टेट पटेलनगर द्वितीय पता अधोहीवाला रायपुर रोड थाना रायपुर देहरादून, उम्र 48 वर्ष

अपराधिक इतिहास

{1} मुकदमा अपराध संख्या 35/24 धारा 120(बी) /420 /467/ 468/ 471 आईपीसी

{2} मुकदमा अपराध संख्या 10/ 23 धारा 120(बी) /420/ 467/ 468/ 471 आईपीसी

पुलिस टीम

(1) उ0नि0 पंकज महिपाल चौकी प्रभारी इंदिरा नगर थाना वसंत विहार देहरादून

(2) का0 शार्दुल

(3) का0 गौरव

(4) हे0का0 किरन (एसओजी)

(5) का0 विजय (थाना डालनवाला)